दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सि.वा.(मू.प.) 804/2012

<u>निर्णय की तिथि : 12 फरवरी 2014</u>

मुनीश्वर कुमार .....वादी

द्वारा : श्री अमित जग्गा, अधिवक्ता

बनाम

राकेश कुमार व अन्य .....प्रतिवादी

द्वारा : श्री बलदेव मलिक एवं श्री अर्जुन मलिक, अधिवक्तागण

<u>न्या. जी.एस. सिस्तानी (मौखिक)</u>

1. वादी ने संपत्ति संख्या 24/104, पश्चिम पटेल नगर, नई दिल्ली के संबंध में विभाजन एवं स्थायी व्यादेश हेतु वर्तमान वाद दायर किया है।

2. वादपत्र के अनुसार, पक्षकार सगे भाई-बहन होने के कारण करीबी रिश्तेदार हैं। पक्षकारों के माता-पिता की बिना वसीयत लिखे मृत्यु हो गई। पक्षकारों के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी आय और धन से भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा अपने पक्ष में निष्पादित पंजीकृत पट्टा विलेख के माध्यम से वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली में वाद संपत्ति सं. 24/2014 अर्जित की। उसके बाद पिता ने अपने स्वयं के धन से उक्त संपत्ति पर निर्माण कार्य शुरू करवाया और उस संपत्ति में रहने लगे। उसके बाद पक्षकारों के पिता ने 31.7.1997 की तिथि वाले हस्तांतरण विलेख के माध्यम से वाद संपत्ति को पट्टेवाली संपत्ति से पूर्ण स्वामित्व संपत्ति में परिवर्तित कर दिया। पिता की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई तथा पक्षकारों को उनके एकमात्र वर्ग-I विधिक वारिस के रूप में छोड़ दिया।

3. प्रारंभिक डिक्री दिनांक 4.12.2012 को पारित की गई, जिसमें वादग्रस्त संपत्ति में प्रत्येक पक्षकार का हिस्सा 1/5 भाग निर्धारित किया गया।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पक्षकार बंटवारे का तरीका तय करने में असमर्थ हैं। चूंकि संपत्ति केवल 100 वर्ग गज है, अतः इसे माप और सीमांकन के हिसाब से विभाजित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, जैसा कि प्रार्थना की गई है, सभी पक्षकारों के हिस्से को 1/5वें हिस्से के रूप में परिभाषित करते हुए एक अंतिम डिक्री पारित की जाती है। पक्षकार तीन महीने के भीतर वाद संपत्ति को बेचने का प्रयास करेंगे और यदि वे ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो पक्षकारों को डिक्री निष्पादित करने का अधिकार होगा।

5. उपरोक्त शर्तों के अनुसार वाद का आदेश पारित किया जाता है।

न्या. जी.एस. सिस्तानी

12 फरवरी 2014
एमएसआर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*